

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय / 12436-12475 दिनांक 31.3.2020

कोषाधिकारी
समस्त।

विषय:- निजी निक्षेप खातों के दिनांक 31.03.2020 के शेषों के
वार्षिक सत्यापन बाबत।

संदर्भ:- वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.
5(थ-75)कोष/12317 दिनांक 27.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के अनुसार माह मार्च 2020 देय माह अप्रैल 2020 के वेतन बिल दिनांक 01 अप्रैल 2020 से सिस्टम पर तैयार कर ऑनलाइन मोड से ही कोषालय में प्रेषित किया जाना वर्णित किया गया है तथा कोषालय द्वारा समय से उनका निस्तारण किया जाना भी वर्णित है।

प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए निजी निक्षेप खाताधारक संस्थाओं में नये वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त उक्त वेतन बिल अथवा अन्य अनुमत भुगतान के प्राप्त बिल को प्राप्त कर पारित किये जाने से पूर्व कोषागार नियमावली के नियम-99 वार्षिक शेष सत्यापन हेतु आवश्यक अधिकृत हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र, संबंधित संस्था के अधिकारिक ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर, कोषालय के शेष से मिलान एवं सिस्टम पर शेष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें। लॉकडाउन समाप्त होने पर उक्त प्रमाण-पत्र की भौतिक प्रति भी प्राप्त कर सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

भवदीय



(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.rajasthan.gov.in

e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in

Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752